UPRB010035142026

न्यायालय **District and Session Judge, Rae Bareli**

पीठासीन अधिकारी– (AMIT PAL SINGH), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP05691**

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1410/2026

सुधीर वर्मा, पुत्र श्याम सुन्दर वर्मा, उम्र 30 वर्ष, निवासी–ग्राम पूरे मितई, पोस्ट बभनपुर, थाना–नसीराबाद, जिला–रायबरेली।

–––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य द्वारा डी०जी०सी० (क्रि०) रायबरेली।

–––अभियोगी

25.06.2026

प्रार्थी–अभियुक्त **सुधीर वर्मा** की ओर से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482BNSS अपराध संख्या **25/2025,** अन्तर्गत धारा– **303(2), भारतीय न्याय संहिता 2023,** थाना **नसीराबाद,** जिला **रायबरेली** के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनाँक 15/1/2025 को प्रार्थी अपनी मोटर साईकिल पैशन प्रो नम्बर UP33BA3893 से ग्राम बभनपुर थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली मेला देखने गया था वापस आने पर देखा तो उक्त मोटर साईकिल किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई थी जबकि उक्त मोटर साईकिल प्रार्थी द्वारा लॉक करके खडी की गई थी।

आवेदिक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी–अभियुक्त निर्दोष है उसे उक्त अपराध में रंजिशन व साजिशन थाना पुलिस गलत तरीके से अभियोजित कर रही है। प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है उसने तथाकथित कोई अपराध कारित नही किया है प्रार्थी मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का कार्य करता है व एक हाथ से विकलांग व्यक्ति है, प्रार्थी को पूर्व में भी एक अन्य अज्ञात चोरी के अभियोग में थाना पुलिस उसे जेल भेज चुकी है जिसमे प्रार्थी जमानत पर हाल ही में रिहा हुआ है। प्रार्थी एक सीधा व्यक्ति है उक्त अभियोग के अतिरिक्त प्रार्थी का अन्य कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी विश्वसनीय जमानतें देने को तैयार है। प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रार्थी –अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलन किया गया है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं अवलोकित किया।

थाने की आख्यानुसार अभियुक्त के द्वारा उक्त मुकदमें में अभियुक्त द्वारा बाईक चोरी करके उनके हिस्से–पुर्जों को खोलकर अपनी बाईक रिपेयरिंग की दुकान पर ग्राहकों की बाईक में लगाता है तथा चेचिस व इंजन कवर को कबाड़ियों को बेच देता है। इसी प्रकार का

कृत्य कई लोगों के साथ किया जा चुका है और साक्ष्य संकलन की कार्यवाही अभी शेष है। अभियुक्त शातिर किस्म का व्यक्ति है। अभियुक्त पूर्व में भी चोरी की गई बाईक संख्या UP33BK6366 की बरामदगी व साक्ष्यों के आधार पर जेल में निरूद्ध रहा है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य** (2011) 1 SCC 694 में अभिनिर्धारित किया है कि आरोपित के खिलाफ उपलब्ध सामग्री का बहुत सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए तथा न्यायालय को यह भी विचार करना चाहिए कि क्या आरोप केवल आवेदक को गिरफ्तार करके अपमानित करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा कई बार बाईक चोरी करके उनके कल पुर्जों को निकालकर अपनी दुकान पर मरम्मत के लिए आई बाईकों में लगाये जाने का उल्लेख किया गया है। पूर्व में भी अभियुक्त चोरी के अपराध में जिला कारागार में निरूद्ध रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा पुनः इसी प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति की गयी है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक–अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का कोई न्यायोचित आधार व कारण नहीं पाया जाता है। तद्नुसार उसके द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी–अभियुक्त **सुधीर वर्मा** की ओर से अपराध संख्या 25/2025 अन्तर्गत धारा– 303(2) **भारतीय न्याय संहिता** 2023, थाना **नसीराबाद,** जिला **रायबरेली** के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

प्रभारी/सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।
25–06–2026

Suraj Sharma
Stenographer

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.07.06 12:06:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Raebareli